



श्री 21/11/79
6/1/79

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 13 जून, 1979

न्येष्ठ 23, 1901 शक संम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1562/सत्रह-वि-1--48-1979

लखनऊ, 13 जून, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1979 पर दिनांक 11 जून, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाय इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1979)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कुछ होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रबन्ध लोक-हित में, सीमित अवधि के लिए, ग्रहण करने के लिए और उनका समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये, और उससे सम्बद्ध या आनुवंशिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसरे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह 30 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

परिभाषाएँ

2—इस अधिनियम में,—

(क) "प्रशासक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से है जिसे धारा 4 के अधीन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाय ;

(ख) "नियत दिन" का तात्पर्य धारा 3 के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक से है ।

(ग) "अनुसूचित महाविद्यालय" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से है और इसके अन्तर्गत सभी प्रास्तियां, अधिकार, पट्टा, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार, और सभी जंगम और स्थावर सम्पत्तियां भी हैं, जिसमें भूमि, भवन, निर्माण-कार्य, फर्नीचर, उपस्कर, औषधि, स्टोर, उपकरण, मशीन, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियां, नकदी, बैंक शेष, आरक्षित निधि, विनिधान और बही ऋण और ऐसे महाविद्यालय से संबंधित ऐसी सम्पत्ति से उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित, जो नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे महाविद्यालय का संचालन करने वाले व्यक्ति, सोसाइटी या अन्य निकाय के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण में रहे हों, और उससे सम्बन्धित सभी लेखा-बही, रजिस्टर और किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेज भी हैं ।

अनुसूचित महा-
विद्यालयों का
प्रबन्ध राज्य सर-
कार में निहित
होना

3—नियत दिन को और उसी दिन से, एक वर्ष की अवधि के लिये सभी अनुसूचित महा-विद्यालयों का प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित होगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी अनुसूचित महाविद्यालय का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभीचीन है कि ऐसा प्रबन्ध एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी राज्य सरकार में पूर्ववत् निहित रहे तो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में उक्त अवधि को इस प्रकार बढ़ा सकती है कि ऐसी कुल अवधि जब तक कि ऐसा प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित रहे, किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक न होगी ।

प्रशासकों की
नियुक्ति

4—(1) राज्य सरकार, नियत दिन से, प्रत्येक अनुसूचित महाविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने के प्रयोजनों के लिये प्रशासक नियुक्त करेगी, और प्रशासक राज्य सरकार के लिये और उसकी ओर से ऐसे महाविद्यालय का प्रबन्ध करेगा ।

(2) ऐसे प्रशासक की नियुक्ति हो जाने पर नियत दिन के ठीक पूर्व अनुसूचित महाविद्यालय के प्रबन्ध के प्रभारी सभी व्यक्ति, ऐसे प्रबन्ध के प्रभारी नहीं रह जायेंगे और ऐसा प्रबन्ध प्रशासक को सौंप देंगे ।

(3) राज्य सरकार प्रशासक को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में ऐसे निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष किसी विधिक कार्यवाही के प्रारम्भ करने, प्रतिवाद करने या जारी रखने से संबंधित निदेश भी हैं) दे सकती है, जिन्हें वह उचित समझे ।

(4) किसी अनुसूचित महाविद्यालय का प्रशासक किसी भी समय राज्य सरकार से उस रीति के सम्बन्ध में जिससे वह ऐसे महाविद्यालय के प्रबन्ध का संचालन करे, या किसी ऐसे विषय के संबंध में जो ऐसे प्रबन्ध के दौरान उद्भूत हो, अनुदेश दिये जाने के लिये आवेदन कर सकता है ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, प्रशासक को उसके प्रबन्ध के अधीन अनुसूचित महाविद्यालय के प्रबन्ध के प्रभारी व्यक्ति या निकाय की (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जिसके अन्तर्गत ऐसे महाविद्यालय की किसी सम्पत्ति या प्रास्तियों का निस्तारण करने की शक्ति भी है ।

(6) विशेष रूप से और उपधारा (5) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रशासक को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति भी होगी :—

(क) अनुसूचित महाविद्यालय में किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की नियुक्ति और सेवा समाप्ति ;

(ख) ऐसे अध्यापक या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत पदच्युत या निलम्बित करने की भी शक्ति है) ;

(ग) ऐसे महाविद्यालय से अनुलग्न, या उसको या उसके प्रयोजनार्थ विन्यस्त सम्पत्ति का प्रबन्ध ;

(घ) ऐसे महाविद्यालय के बैंक लेखों का संचालन और उसके छात्रों से फीस वसूली ।

5—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में किसी अनुसूचित महा-विद्यालय से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति हो, ऐसे महाविद्यालय के लिये प्रशासक की नियुक्ति हो जाने पर, ऐसी सम्पत्ति प्रशासक या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, तत्काल देने के लिये बाध्य होगा।

कब्जा देने का कर्तव्य

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रबन्ध का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति उस दिन से दस दिन के भीतर या ऐसी अप्रतिर अवधि के भीतर, जिसकी राज्य सरकार इस निमित्त अनुज्ञा दे प्रशासक को, नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे महाविद्यालय से सम्बन्धित सभी सम्पत्ति और प्रास्तियों की (जिसके अन्तर्गत बही-ऋण, विनिधान और सामान के व्योरे भी हैं) और नियत दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में सभी दायित्व और आभार की, और ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में किये गये और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी करार की, एक पूर्ण तालिका प्रस्तुत करेगा।

6—जहां कोई व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में किसी अनुसूचित महाविद्यालय से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति हो, उसका कब्जा धारा 5 के अनुसार प्रशासक या प्राधिकृत अधिकारी या कर्मचारी को देने में विफल रहता है, वहां प्रशासक कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर ऐसी सम्पत्ति पर प्रशासक को कब्जा देगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता या करा सकता है, जैसा आवश्यक हो।

प्रशासक की कब्जा लेने के लिये कलेक्टर को आवेदन करने की शक्ति

7—(1) किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुये भी, यदि प्रशासक का समाधान हो जाय कि किसी अनुसूचित महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का सेवा में बना रहना इस अधिनियम के प्रयोजनों, या महाविद्यालय के हित के प्रतिकूल है तो वह किसी समय नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है।

अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की समाप्ति

(2) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास, या उस पर यदि कोई सेवा की शर्तें लागू हों तो उसमें विनिर्दिष्ट अवधि, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु किसी ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की सेवायें ऐसी नोटिस के बिना या अप्रतिर अवधि की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं, और इस प्रकार सेवा की समाप्ति पर, यथास्थिति, अध्यापक या अन्य कर्मचारी अनुसूचित महाविद्यालय से नोटिस की अवधि के लिए या यथास्थिति, उतनी अवधि के लिए जितनी अवधि से ऐसा नोटिस उस नोटिस की अवधि से कम पड़ जाय, जिसके लिए वह इस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार होता, उसी दर से जिस दर से वह ऐसी सेवा समाप्ति के तुरन्त पूर्व वेतन और भत्ते पा रहा हो, अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, धनराशि के बराबर धनराशि का दावा करने का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रशासक के किसी आदेश से व्यथित कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी आदेश तामील होने से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

8—(1) प्रशासक को अनुसूचित महाविद्यालय की निधि से ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निश्चित करे।

प्रशासक को देय पारिश्रमिक

(2) राज्य सरकार, किसी समय, किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रशासक को बदल सकती है।

9—सन्देशों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि,—

प्रबन्ध ग्रहण के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा

(क) उस व्यक्ति, सोसायटी या अन्य निकाय को जिसके स्वामित्व या प्रबन्ध में कोई अनुसूचित महाविद्यालय हो, उसका प्रबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अस्थायी अवधि के लिए राज्य सरकार के पास रहने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रतिकर या अन्य राशि देय या सदेय न होगी ;

(ख) नियत दिन के पूर्व किसी अनुसूचित महाविद्यालय के सम्बन्ध में उपगत कोई दायित्व, राज्य सरकार या प्रशासक के विरुद्ध प्रवर्तनीय न होगा।

प्रबन्ध का त्यजन

10—(1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार को उक्त धारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय यह प्रतीत हो कि सभी या किसी अनुसूचित महाविद्यालय का प्रबन्ध ऐसी सरकार में निहित करने का प्रयोजन पूरा हो गया है या किसी अन्य कारण से यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा प्रबन्ध ऐसी सरकार में निहित बना रहे तो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसे दिनांक से जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे प्रबन्ध का त्याग कर सकती है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से या, यथास्थिति, धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, सम्बद्ध अनुसूचित महाविद्यालय का प्रबन्ध उस व्यक्ति, सोसायटी या अन्य निकाय को, जिससे ऐसा प्रबन्ध धारा 3 के अधीन ग्रहण किया गया था, या यदि ऐसा व्यक्ति, सोसायटी या अन्य निकाय विद्यमान न हो तो उस व्यक्ति, सोसायटी या अन्य निकाय को, जिसको विधि के अनुसार ऐसे प्रबन्ध का अधिकार प्राप्त हो गया हो, प्रतिवर्तित हो जायगा।

शास्त्रि

11—कोई व्यक्ति,—

(क) जिस के कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में किसी अनुसूचित महाविद्यालय से संबंधित कोई सम्पत्ति हो, ऐसी सम्पत्ति को प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति से उदोष, विधृत करता है, या

(ख) जो किसी ऐसी सम्पत्ति पर सदोष कब्जा करता है, या

(ग) जो किसी ऐसी सम्पत्ति को सदोष रोक रखता है या उसे हटाता या नष्ट करता है, या

(घ) जो किसी पुस्तिका, पत्रादि या अन्य दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, सदोष विधृत करता है या प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को देने में विफल रहता है, या

(ङ) जो किसी व्यक्तिपुस्त कारण के बिना, धारा 5 की उपधारा (2) के अनुसार सूचना या व्योरा प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

ऐसी अवधि के, जो दो वर्ष तक हो सकती है, कारावास से, या जुर्माना से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

कम्पनी द्वारा
अपराध

12—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो और उसके कार्य-संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, और कम्पनी को भी, अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्पत् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मीनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को, उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अधिनियम का
अधिभावी प्रभाव
होगा

13—इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे भले ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उससे असंगत कोई बात क्यों न हो।

सद्भावना से
किये गये कार्य का
संरक्षण

14—(1) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रशासक या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन, सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो या किया गया समझा जाय।

(2) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या प्रशासक या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात से हुई या सम्भावित किसी धति के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन, सद्भावना से की गई हो या किये जाने के लिए आशयित हो या की गयी समझी जाय।

नियम बनाने की
शक्ति

15—राज्य सरकार, अधिमूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और
अपवाद

16—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपथिक महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

[धारा 2 खण्ड (ग) देखिये]

- 1—इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
- 2—लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
- 3—दयानन्द जनवादी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर ।
- 4—कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर ।
- 5—डा० बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद ।
- 6—मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
- 7—श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चंदेसर, आजमगढ़ ।
- 8—वजरंग लाल डालमिया होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लच्छी रामपुर, आजमगढ़ ।
- 9—गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर ।
- 10—होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मलिकापुर, गाजीपुर ।
- 11—तिलकधारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।
- 12—रानी ईश्वरी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।
- 13—ग्राम विकास होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।
- 14—होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, टिगरी मनकावाला नगीना, विजनाौर ।
- 15—हेदारनाथ गिरधारी लाल खत्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 1562/XVII-V-48-1979

Dated Lucknow, June 13, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Chikitsa Mahavidyalaya (Prabandh-Grahan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on June 11, 1979.

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGES
(TAKING OVER OF MANAGEMENT) ACT, 1979

[U. P. ACT NO. 20 OF 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to provide for the taking over, in the public interest, of the management of certain homoeopathic medical colleges for a limited period and for securing proper management thereof, and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medical Colleges (Taking over of Management) Act, 1979.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 30, 1979.

2. In this Act—

Definitions.

(a) 'Administrator' means the person or body of persons appointed as the Administrator under section 4;

(b) 'appointed day' means the date notified by the State Government for the purposes of section 3 ;

(c) 'scheduled college' means a homoeopathic medical college specified in the schedule and includes all assets, rights, leaseholds, powers, authorities, and privileges, and all properties movable, and immovable, including lands, buildings, works, furnitures, equipments, drugs, stores, instruments, machinery, automobiles and other vehicles, cash and bank balances, reserve funds, investments, and book debts and all other rights and interests arising out of such property relating to such college, as were immediately before the appointed day in the ownership, possession, power or control of the person, society or other body running such college, and all books of accounts, registers and other documents of whatever nature relating thereto.

Vesting of management of scheduled colleges in the State Government.

3. On and from the appointed day, the management of all the scheduled colleges shall vest in the State Government for a period of one year from such date :

Provided that if the State Government is of opinion that in order to secure the proper management of any scheduled college, it is expedient that such management should continue in vest in the State Government after the expiry of the said period of one year, it may, by notification, extend the said period in respect of such college, so however, that the total period for which such management shall continue to vest in the State Government shall not, in any case exceed two years.

Appointment of Administrators.

4. (1) The State Government shall, as from the appointed day, appoint an Administrator of every scheduled college for the purposes of taking over the management thereof, and the Administrator shall carry on the management of such college for and on behalf of the State Government.

(2) On the appointment of such Administrator all persons incharge of the management of the scheduled college immediately before the appointed day shall cease to be in charge of such management and shall hand over such management to the Administrator.

(3) The State Government may issue such directions, (including directions as to initiating, defending or continuing any legal proceedings before any court, tribunal or other authority) to the Administrator as to his powers and duties as the State Government may deem fit.

(4) The Administrator of a scheduled college may, at any time, apply to the State Government for instructions as to the manner in which he shall conduct the management of such college or in relation to any matter arising in the course of such management.

(5) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Administrator shall have all the powers of the person or body (by whatever name called) in charge of the management of the scheduled college under his management including the powers to dispose of any property or assets of such college.

(6) In particular and without prejudice to the provisions of sub-section (5), the Administrator shall also have the power—

(a) to appoint and terminate the services of a teacher or other employee of the scheduled college ;

(b) to take disciplinary action (including the power or dismissal or suspension) against such teacher or employee ;

(c) to manage the properties appurtenant to, or endowed to or for the purposes of, such college ;

(d) to operate the bank accounts of such college and to realise fees from the students thereof.

Duty to deliver possession .

5. (1) Every person having possession, custody or control of any property relating to any scheduled college shall on appointment of the Administrator for such college be bound to deliver forthwith such property to the Administrator or to any officer or other employee of the State Government as

(2) Every person incharge of the management of a scheduled college immediately before the appointed day shall, within ten days from that day or within such further period as the State Government may allow in this behalf, furnish to the Administrator a complete inventory of all the properties and assets (including particulars of book-debts, investments and belongings) relating to such college immediately before the appointed day, and of all liabilities and obligations in relation to such college subsisting immediately before the appointed day and also of all agreements entered into in relation to such college and in force immediately before the appointed day.

6. Where any person having possession custody or control of any property relating to a scheduled college fails to deliver possession thereof to its Administrator or to the authorised office or employee in accordance with section 5, the Administrator may apply to the Collector, and the Collector shall deliver possession over such property to the Administrator and may, for that purpose use or cause to be used, such force as may be necessary.

Power of Administrator to apply to the Collector for obtaining possession.

7. (1) Notwithstanding anything contained in any other law or in any contract or other instrument, if the Administrator is satisfied that the continuance in service of a teacher or other employee of a scheduled college is prejudicial to the purposes of this Act or the interest of the college, he may at any time by notice without assigning any reason terminate his services.

Termination of appointment of teachers and other employees.

(2) The period of such notice shall be three months or the period specified in the conditions of service, if any, applicable to him, whichever is less :

Provided that the services of any such teacher or other employee may be terminated, without such notice or by a shorter notice, and on such termination, the teacher or other employee, as the case may be, shall be entitled to claim from the scheduled college a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for the period of notice or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of the period of notice to which he is otherwise entitled under this sub-section at the same rates at which he was drawing the pay and allowances immediately before such termination.

(3) Any teacher or other employee aggrieved by an order of the Administrator under sub-section (1) may, within 30 days from the service of the order, prefer an appeal to the State Government whose decision thereon shall be final.

8. (1) The Administrator shall receive, from the funds of the scheduled college, such remuneration, as the State Government may, from time to time, fix.

Remuneration payable to the Administrator.

(2) The State Government may, at any time, change the Administrator of a scheduled college.

9. For the removal of doubts, it is hereby declared that,—

(a) no compensation or any other amount whatsoever shall be due or payable to the person, society or other body owning or managing any scheduled college in respect of its management remaining with the State Government for the temporary period in accordance with the provisions of this Act ;

No compensation payable for the taking over of management.

(b) no liability incurred in relation to any scheduled college, before the appointed day, shall be enforceable against the State Government or the Administrator.

10. (1) Notwithstanding anything contained in section 3, if it appears to the State Government, at any time before the expiry of the period referred to in that section, that the purposes of vesting of the management of all or any of the scheduled colleges in such Government have been fulfilled or that for any other reason, it is not necessary that such management should remain vested in that Government, it may, by notification, relinquish such management with effect from such date as may be specified in the notification.

Relinquishment of management.

(2) With effect from the date specified in the notification referred to in sub-section (1) or, as the case may be, after the expiration of the period referred to in section 3, the management of the scheduled college concerned shall revert to the person, society or other body from whom such management was taken

over under section 3 or, if such person, society or other body has ceased to exist, to the person, society or other body upon whom the right to such management has devolved according to law.

Penalty.

11. Any person who,—

- (a) having in his possession, custody or control any property relating to any scheduled college, wrongfully withholds such property from the Administrator or any person authorised under this Act; or
- (b) wrongfully obtains possession of any such property; or
- (c) wilfully retains any such property or removes or destroys it; or
- (d) wilfully withholds or fails to deliver any books, papers, or other documents which may be in his possession, custody or control to the Administrator, or to any person authorised under this Act; or
- (e) fails, without any reasonable cause, to furnish information or particulars in accordance with sub-section (2) of section 5;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

Offences
companies by

12. (1) Where any offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(a) 'company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) 'director' in relation to a firm, means a partner in the firm.

Act to have
overriding effect.

13. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

Protection of
action taken in
good faith.

14. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Administrator or any officer or other employee of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done or deemed to be done under this Act.

(2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the Administrator or any other officer or employee of the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done or deemed to be done under this Act.

Rule making
power.

15. The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

Repeal and
savings.

16. (1) The Uttar Pradesh Homoeopathic Colleges (Taking Over of Management) Ordinance, 1979 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material

SCHEDULE

[See SECTION 2, CLAUSE (c)]

1. Allahabad Homoeopathic Medical College, Allahabad.
2. Lal Bahadur Shastri Homoeopathic Medical College, Allahabad.
3. Daya Nand Janvadi Homoeopathic Medical College, Kanpur.
4. Kanpur Homoeopathic Medical College, Kanpur.
5. Dr. Brij Kishore Homoeopathic Medical College, Faizabad.
6. Mohan Homoeopathic Medical College, Lucknow.
7. Sri Durgaji Homoeopathic Medical College, Chandesar, Azamgarh.
8. Bajrang Lal Dalmia Homoeopathic Medical College, Lachchi Rampur, Azamgarh.
9. Ghazipur Homoeopathic Medical College, Ghazipur.
10. Homoeopathic Medical College, Malikapura, Ghazipur.
11. Tilakdhari Homoeopathic Medical College, Jaunpur.
12. Ranf Ishwari Devi Homoeopathic Medical College, Jaunpur.
13. Gram Vikas Homoeopathic Medical College, Jaunpur.
14. Homoeopathic Medical College, Tigri Mankawala Nagina, Bijnor.
15. Kedarnath Girdhari Lal Khattri Homoeopathic Medical College, Moradabad.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.